

न्यायालय: लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

(पोक्सो एक्ट) जयपुर जिला, जयपुर

**सूचना**

समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी एडवाइजरी व सर्कुलर की अनुपालना में कोरोना वायरस महावारी के फैलाव को रोकने के लिए इस न्यायालय के समस्त फौजदारी प्रकरणों व रिमाण्ड शीट को नियत तारीख पेशी से आगामी निम्नलिखित तारीख पेशी हेतु नियत किया जाता है:-

क्रम संख्या	नियत तारीख पेशी	आगामी तारीख पेशी फौजदारी प्रकरण	आगामी तारीख पेशी रिमाण्ड शीट
1	18.03.2020	01.04.2020	-
2	19.03.2020	03.04.2020	01.04.2020
3	20.03.2020	04.04.2020	03.04.2020
4	21.03.2020	07.04.2020	04.04.2020
5	23.03.2020	08.04.2020	04.04.2020
6	24.03.2020	09.04.2020	07.04.2020
7	26.03.2020	13.04.2020	09.04.2020
8	27.03.2020	15.04.2020	09.04.2020
9	28.03.2020	16.04.2020	09.04.2020
10	30.03.2020	17.04.2020	13.04.2020
11	31.03.2020	18.04.2020	13.04.2020

नोट:- पक्षकारान व अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि अतिआवश्यक होने पर ही न्यायालय व कार्यालय कक्ष में प्रवेश करें।



विशिष्ट न्यायाधीश  
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण  
अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट),  
जयपुर जिला